

14 ⁹/₂₂ पत्रावली पेश हुई। वकील डा. श्री अनुपस्वित
कतु कतु कर तीन बार आवाज दिलाई
गई। न तो वकील डा. श्री उप. न ही पत्रकार
उप.। सेती स्वीटि मे न्यायालय उक्त डा. श्री
पत्र को आगे जेकाए रखना उचित नही
समझला है। अतः प्रा. पत्र को अफम हाजरी
अफम पैरवी मे खारिज किया जाता है।
पत्रावली कैसल शुमार होकर नम्बर से
कम की जावे। निर्णय आज दिनांक 14.9.22
को सरे इजलास सुनाया गया।

उप स्वण्ड अधिकारी
भागरोल जिला बारों (राज०)